

04-(R)

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक:प.4(8)सह/2018

जयपुर,दिनांक 15.02.2019

आदेश

राजस्थान सहकारिता सेवा नियम 1954 के नियम 24 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.01.2019 में की गई अभिशंका पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित निरीक्षक ग्रेड प्रथम को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है:-
वर्ष 2018-19

क.स.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1	श्री सुनील वीरभान	01.04.2018
2	श्री विनोद कुमार गुप्ता	01.04.2018
3	श्री दीर्घायु पाराशर	01.04.2018
4	श्रीमती फौजिया खान	01.04.2018
5	श्री सौरभ शर्मा	01.04.2018
6	श्री भंवर सिंह	01.04.2018
7	श्री बृजेश जोशी	01.04.2018
8	श्री महेन्द्र पाल सिंह	01.04.2018
9	श्री सौमित्र कुमार मंगल	01.04.2018
10	श्री ओमप्रकाश नेहरा	01.04.2018
11	श्री ओम प्रकाश	01.04.2018
12	श्री राकेश पुरोहित	01.04.2018
13	श्री उदयदीप सिंह राठौड	01.04.2018
14	श्री शिरिष वी. चांदे	01.08.2018
15	श्री लोकेश जोशी	01.09.2018
16	श्री सुलोचना बागोरिया(एससी)	01.09.2018
17	श्री हेमंत कुमार विजय (एससी)	01.09.2018
18	श्री खरताराम मेघवाल	01.12.2018
19	श्री दीनदयाल मीणा(एसटी)	01.02.2019
20	श्री ताराचंद मेहरा(एससी)	01.02.2019
21	श्री नवल किशोर मीणा(एसटी)	01.03.2019

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित उपरोक्त अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत हैं।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जा रहे हैं। उक्त अधिकारीगण पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुखवीर सैनी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता एवं इ.गां.न.परि. मंत्रीजी।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राज0, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राज0, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव